न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र /20 (2021/00418)

1. ब्रम्हाणी ग्रेनाईटस निकट ग्राम बघेरा पो.बघेरा तहसील केकड़ी जिला जरिये खातेदार इन्दा शर्मा पत्नि श्री राजेन्द्र शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी पाण्डेर रोड सावर
2. मीना कुमारी उर्फ मीना राठौड़ पत्नि महिपाल सिंह राठौड़ जाति राजपूत निवासी सावर केन्द्रीय विद्यालय देवली जिला टोंक राज.

---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम

–:: आदेश ::–

दिनांक 27.10.2021

पत्रावली पेश हुई । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बघेरा के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के नया –पुराना खाता स. 2064–1154 के खसरा नम्बर 6564/128 रकबा 4.0000 है. किस्म नहरी 2 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 125 , 98,91 में से होता हुआ खसर नम्बर 57 जिसमें मोके पर पहुच हेतु मार्ग बना हुआ है में मिल जाता है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा कोई रिकॉर्डेड रास्ता नहीं है। न ही रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण काफी लम्बे समय से इसी रास्ते से आ–जा रहा है। रास्ता कम से कम 10 मीटर चौडा है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के पास कोई आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है न ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण काफी लम्बे समय से इसी खसरा नम्बर 125, 98, 91 में वर्णित रास्ते में से होकर अपने खेत में आते–जाते है।व रास्ता कम से कम 10 मीटर चौडा है तथा इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की आराजी में जाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता है। अतः उक्त विद्यमान मार्ग को राजस्व अभिलेख में रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे। तथा इस हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु तैयार है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया , जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया ।

तहसीलदार केकडी पेरोकार सरकार ने अपने पत्रांक /राजस्व/2021/1192/दिनांक 26.10.2021 द्वारा जवाब व मौका रिपोर्ट पेश की है। जिसके अनुसार ग्राम बघेरा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6564/128 रकबा 4.0000 किस्म बारानी 3 जिसमें जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। वर्तमान में प्रार्थीगण अपने खेत मे आने जाने के लिये सरकारी पाल खसरा नम्बर 125 व खातेदारी खसरा नम्बर 123 की पूर्वी मेर से निकल रहे है। प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी से कटानी रास्ता खसरा नम्बर 58 में से होकर जाता है। इसी रास्ते से जाने में आसानी रहेगीं। प्रार्थी के वर्तमान में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। खसरा नम्बर 127 में से 80 मिटर लम्बा एंव 9 मिटर चौडा कुल 720 मिटर तथा खसरा 127 में से 40 लम्बा 6 मिटर चौडा कुल 240 मिटर कुल 960 मिटर , खसरा नम्बर 125 में 9 मिटर चौडा , 100 मिटर लम्बा कुल 900 मिटर खसरा नम्बर 98 मे 204 मिटर लम्बा 9 मिटर चौडा कुल 1836 मिटर खसरा नम्बर 91 मेंसे 20 मिटर लम्बर 9 मिटर चौडा कुल 180 मिटर इस प्रकार कुल 3876 मिटर भूमि जिसकी डी.एल.सी.दर से कीमत असिंचित भूमि सडक के पास 262845 X 3876 X2 = 203722रूपये मात्र/–बनते है।

तहसीलदार केकडी द्वारा रास्ता दिये जाने की अभिशंषा की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:20:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्राथीगण वकील को सुना गया । प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराया । पेरोकार सरकार ने अपने वितर्क प्रस्तुत करते हुये बताया कि तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। रिपोर्ट अनुसार ग्राम बघेरा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6564/128 रकबा 4.0000 किस्म बारानी 3 जिसमें जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। वर्तमान में प्रार्थीगण अपने खेत मे आने जाने के लिये सरकारी पाल खसरा नम्बर 125 व खातेदारी खसरा नम्बर 123 की पूर्वी मेर से निकल रहे है। प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी से कटानी रास्ता खसरा नम्बर 58 में से होकर जाता है। इसी रास्ते से जाने में आसानी रहेगीं। प्रार्थी के वर्तमान में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। खसरा नम्बर 127 में से 80 मिटर लम्बा एंव 9 मिटर चौडा कुल 720 मिटर तथा खसरा 127 में से 40 लम्बा 6 मिटर चौडा कुल 240 मिटर कुल 960 मिटर , खसरा नम्बर 125 में 9 मिटर चौडा , 100 मिटर लम्बा कुल 900 मिटर खसरा नम्बर 98 मे 204 मिटर लम्बा 9 मिटर चौडा कुल 1836 मिटर खसरा नम्बर 91 मेंसे 20 मिटर लम्बर 9 मिटर चौडा कुल 180 मिटर इस प्रकार कुल 3876 मिटर भूमि जिसकी डी.एल.सी.दर से कीमत असिचित भूमि सडक के पास 262845 X 3876 X2 = 203722रूपये मात्र/-बनते है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम बघेरा के खसरा नम्बर 125 व खातेदारी खसरा नम्बर 123 की पूर्वी मेर से निकल रहे है। प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी से कटानी रास्ता खसरा नम्बर 58 में से होकर जाता है। इसी रास्ते से जाने में आसानी रहेगीं। प्रार्थी के वर्तमान में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। खसरा नम्बर 127 में से 80 मिटर लम्बा एंव 9 मिटर चौडा कुल 720 मिटर तथा खसरा 127 में से 40 लम्बा 6 मिटर चौडा कुल 240 मिटर कुल 960 मिटर , खसरा नम्बर 125 में 9 मिटर चौडा , 100 मिटर लम्बा कुल 900 मिटर खसरा नम्बर 98 मे 204 मिटर लम्बा 9 मिटर चौडा कुल 1836 मिटर खसरा नम्बर 91 मेंसे 20 मिटर लम्बर 9 मिटर चौडा कुल 180 मिटर इस प्रकार कुल 3876 मिटर भूमि जिसकी डी.एल.सी.दर से कीमत असिचित भूमि सडक के पास 262845 X 3876 X2 = 203722रूपये मात्र/-बनते है। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि राजकोष जमा कराने पर तहसीलदार केकडी उक्त रास्ते को गै.मु. सार्वजनिक रास्ता के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर , नक्शा ट्रेस में तरमीम करने की कार्यवाही तहसीलदार केकडी द्वारा की जावें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी,(अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:20:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner